न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 6 / रेगूलर / 2024 (GCMS No. 2024 / 160)	01.10.2024	05.11.2024

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
रसद कार्यालय, बून्दी — प्रार्थी

बनाम

रूस्तम अली पुत्र सुबराती अली
निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा की गली,
वार्ड सं. 24, कापरेन, तह. के0पाटन — अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 06 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024 / 160 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 29.10.2024 को अपना जवाब पेश किया जाकर स्वयं के 06 घरेलू व 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस, एक गैस रिफलिंग मोटर मय दो पाइप मय रेगूलेटर मय लाइट वायर प्रार्थी को सिपुर्द करते हुए कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 24.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक बून्दी द्वारा रूस्तम अली आ. सुबराती अली के घर घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में जांच की गयी। अप्रार्थी के यहां पर जांच के दौरान 06 घरेलू व 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस, एक गैस रिफलिंग मोटर मय दो पाइप मय रेगूलेटर मय लाइट वायर पाये गये। पूछताछ करने पर अप्रार्थी के पास गैस रिफिल करने का कोई लाइसेंस नहीं मिला तथा सिलेण्डरों को कब्जे में रखे जाने संबंधी कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अप्रार्थी द्वारा गाडियों में रिफलिंग के संबंध में भी कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। अतः गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 06 घरेलू व 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय 19.2 कि.ग्रा. एलपीजी गैस, एक गैस रिफलिंग मोटर मय दो पाइप मय रेगूलेटर मय लाइट वायर को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स कापरेन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री आशीष गुप्ता की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित न्यायालय आकर बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि जिला रसद अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान जप्त किये गये गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के भाई की दिनांक 16.10.2024 को होने वाली शादी हेतु घर व रिश्तेदारों से लेकर इकट्ठे किये गये थे ना कि किसी व्यावसायिक या अनाधिकृत कार्य के लिये। जांच के दौरान जो गैस रिफलिंग मशीन जप्त की गयी थी वो व्यावसायिक कार्य के लिये ना होकर गैस सिलेण्डरों में गैस की मात्रा को चैक करने के लिये लगा रखा थी। उक्त जो गैस सिलेण्डर जप्त किये गये उसमें अप्रार्थी के परिवार व रिश्तेदारों (दो सिलेण्डर स्वयं अप्रार्थी के नाम कनेक्शन कार्ड क्रमांक CX10142904, दो माता के नाम कनेक्शन क्रमांक K00353, एक सिलेण्डर भाभी के नाम कनेक्शन क्रमांक 201824, एक सिलेण्डर मामी के नाम कनेक्शन क्रमांक 203211 एवं एक व्यावसायिक सिलेण्डर बड़े भाई के नाम कनेक्शन क्रमांक K02172) के कुल 07 गैस सिलेण्डर सम्मिलित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 06 घरेलू व 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस, एक गैस रिफलिंग मोटर मय दो पाइप मय रेगूलेटर मय लाइट वायर अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों व्यवसायिक उपयोग किया गया है इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डर मय सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन कि.ग्रा.
1	146726	HPCL	5.00 कि.ग्रा.
2	72891	INDIAN	0.0 कि.ग्रा.
3	913685	INDIAN	14.2 कि.ग्रा.
4	050455	INDIAN	0.0 कि.ग्रा.
5	199374	INDIAN	0.0 कि.ग्रा.
6	687160	HPCL	0.0 कि.ग्रा.
7	--	INDIAN	0.0 कि.ग्रा.
8	एक गैस रिफलिंग मोटर मय दो पाईप मय रेगूलेटर मय लाईट वायर		
		कुल गैस वजन	19.2 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 06 घरेलू व 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस, एक गैस रिफलिंग मोटर मय दो पाइप मय रेगूलेटर मय लाइट वायर के वापस कम्पनी को लौटाये जाने की नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार अविलम्ब पालना की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी